



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 638]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 13, 2018/भाद्र 22, 1940

No. 638]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 13, 2018/BHADRA 22, 1940

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 सितम्बर, 2018

सा.का.नि. 872(अ).—केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989, जिनमें केंद्र सरकार मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 109, 110 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संशोधन करने का प्रस्ताव करती है, में और अधिक संशोधन करते हुए निम्नलिखित प्रारूप कतिपय नियमों को इस अधिनियम की धारा 212 की उप-धारा (1) के द्वारा यथावश्यक इसके द्वारा प्रभावित होने की संभावना वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है; और एतद्वारा नोटिस दिया जाता है कि प्रारूप नियमों को उस तारीख से तीस दिन की अवधि समाप्त होने के बाद विचारार्थ स्वीकार कर लिया जाएगा जिसको सरकारी राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां जनता के लिए उपलब्ध करायी जाती हैं।

इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि समाप्त होने के भीतर उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त होने वाली किन्हीं आपत्तियों या सुझावों पर केंद्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

इन प्रारूप नियमों के प्रति आपत्तियों एवं सुझावों, यदि कोई हो, को संयुक्त सचिव (परिवहन), ईमेल: js-tpt@gov.in, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 के पास भेजा जा सकता है।

प्रारूप नियम

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ - (1) इन नियमों को केंद्रीय मोटर यान (... .. संशोधन) नियम, 2018 कहा जाएगा।

(2) इन नियमों में अन्य स्वरूप में निहित, ये नियम सरकारी राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तिथि को या उसके छह माह पश्चात लागू होंगे।

2. केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 (इसमें इसके पश्चात नियम के रूप में उल्लिखित) में नियम 110 में, दूसरे परंतुक के पश्चात, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"और बशर्ते कि, इन नियमों के प्रारंभ से छह माह की समाप्ति पर और उसके पश्चात तीन पहिया वाहनों में हेडलैम्प (पों) में लगाए गए फिलामेंट लैम्प (बल्ब) तदनुसूची बीआईएस विनिर्देशनों को भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) के तहत अधिसूचित किए जाने तक समय-समय पर यथा संशोधित एआइएस-134:2016 के अनुरूप होंगे।"

3. नियम 117 में, उप-नियम (1) में, दूसरे परंतुक के पश्चात, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"और बशर्ते कि, कोई वाहन जिसकी डिजाइन की गई गति तीस किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक नहीं है, उसे उपर्युक्त उप-नियम (1) के दायरे से छूट दी जाएगी।"

4. नियम 125 में, उक्त नियमों के उप-नियम (9) के पश्चात, निम्नलिखित उप-नियमों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(10) तीन पहिया वाहनों के लिए सीट आयाम, यात्री डिब्बे के लिए दरवाजे और पैर रखने की जगह: इन नियमों के प्रारंभ से दो वर्ष की समाप्ति पर और उसके पश्चात प्रत्येक तीन पहिया वाहन के चालक सीट आयाम, प्रत्येक तीन पहिया यात्री वाहक के यात्री सीट आयाम, यात्रियों के लिए पैर रखने की जगह और यात्री डिब्बे के दरवाजे, तदनुसूची बीआईएस विनिर्देशनों को भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) के तहत अधिसूचित किए जाने तक समय-समय पर यथा संशोधित एआइएस-134:2016 के अनुरूप होंगे;

(11) 1 अक्टूबर 2019 को और उसके पश्चात विनिर्मित श्रेणी एम 2, श्रेणी एम 3 तथा श्रेणी एन (अर्ध-ट्रेलरों के लिए पुलर ट्रैक्टर सहित ट्रैक्टरों, ट्रेलरों और माँड्यूलर हाइड्रोलिक ट्रेलरों को छोड़कर) के वाहन, तदनुसूची बीआईएस विनिर्देशनों को भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) के तहत अधिसूचित किए जाने तक समय-समय पर यथा संशोधित एआइएस-145:2017 की अपेक्षाओं के अनुरूप वाहन रिवर्स पार्किंग अलर्ट सिस्टम से सुसज्जित होंगे।"

5. नियम 2 में, उप-नियम (i) में शब्दों, प्रतीकों और संख्याओं को "श्रेणी एल-1 से अभिप्राय है 70 किलोमीटर/घंटे से अनधिक अधिकतम गति और थर्मिक इंजन से युक्त 50 सीसी से अनधिक इंजन क्षमता या इलैक्ट्रिक मोटर से युक्त 4.0 किलो वाट से अनधिक मोटर पावर वाला मोटर साइकिल (हल्का दो पहिया संचालित वाहन)" शब्दों, प्रतीकों और संख्याओं द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[सं. आरटी-11028/03/2017-एमवीएल]

अभय दामले, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियमों को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 590(अ), दिनांकित 2 जून, 1989 द्वारा प्रकाशित किया गया था और पिछली बार संशोधन अधिसूचना संख्या सा.का.नि.(अ), दिनांकित द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 13th September, 2018

G.S.R. 872(E).—The following draft of certain rules, further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sections 109, 110 of Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) is hereby published as required by sub-section (1) of section 212 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after expiry of thirty days from the date on which the copies of this notification as published in the Gazette of India are made available to the Public.

The objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period aforesaid will be considered by the Central Government;

Objections and suggestions to these draft rules, if any, may be sent to the Joint Secretary (Transport), email : js-tpt@gov.in, Ministry of Road Transport and Highways, Transport Bhawan, Parliament Street, New Delhi-110 001.

Draft rules

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called as the Central Motor Vehicles (..... Amendment) Rules, 2018.

(2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989 (hereafter referred to as the said rules), in rule 110, after the second proviso, the following proviso shall be inserted, namely: -

“Provided further that, on and after expiry of six months from the commencement of these rules, the filament lamp (bulb) fitted in headlamp(s) of three wheelers shall be as per AIS-134:2016, as amended from time to time, till the corresponding BIS specifications are notified under the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016).”

3. In rule 117, in sub-rule (1), after the second proviso, the following proviso shall be inserted, namely: -

“Provided further that a vehicle of which designed speed does not exceed thirty kilometers per hour, shall be exempted from the purview of sub-rule (1) above.”

4. In rule 125, after sub-rule (9) of the said rules, the following sub-rules shall be inserted, namely: -

“(10) Seat dimensions, doors for passenger compartment and leg space for three wheelers: On and after expiry of two years from the commencement of these rules, driver seat dimensions of every three wheeler, passenger seat dimension and leg space for passengers and doors of passenger compartment of every passenger carrier three wheeler, shall conform to AIS-134:2016, as amended from time to time till the corresponding BIS specifications are notified under the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016);

(11) Vehicles of Category M2, Category M3 and Category N (except Tractors including Puller tractor for semi-trailers, trailers and modular hydraulic trailers), manufactured on and after the 1st October 2019, shall be fitted with the vehicle reverse Parking Alert System complying with the requirements of AIS-145:2017, amended from time to time till the corresponding BIS specifications are notified under the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016).”

-
5. In rule 2, words, symbols and numbers in sub rule (i) shall be substituted by words, symbols and numbers "Category L-1 means a motor cycle (light two wheeled powered vehicle) with maximum speed not exceeding 70Km/h and engine capacity not exceeding 50cc if fitted with a thermic engine or motor power not exceeding 4.0 kilowatts if fitted with electric motor."

[No. RT-11028/03/2017-MVL]

ABHAY DAMLE, Jt. Secy.

Note. - The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i) vide notification number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and lastly amended vide notification number G.S.R (E) dated